रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082020-221183
CG-DL-E-17082020-221183

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2020/श्रावण 26, 1942
No. 403] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2020/SHRAVANA 26, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2020

सं. 75/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 509(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के साथ पठित धारा 157, 58क, 143कक, के तहत, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.-** (1) इन विनियमों को मैन्यूफैक्चर एण्ड अदर ऑपरेशन्स इन स्पेशल वेयर हाउस रेग्युलेशन्स, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये विभिन्न सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाए.-** (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्थक अभिप्रेत न हों,-

(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) बंधपत्र अधिकारी से अभिप्राय किसी वेयरहाउस के प्रभारी सीमाशुल्क अधिकारी से है;

(ग) "प्रमाणीकरण प्राधिकारियों के नियंत्रक" से अभिप्राय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी से है;

(घ) "फार्म" से अभिप्राय इन विनियमों में परिशिष्ट फार्म से है;

(ङ) "धारा" से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा से है।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियों, जो कि इस विनियम में प्रयुक्त तो हैं लेकिन यहां उनको परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ वही हो या जो इनके लिए क्रमशः उक्त अधिनियम में दिया गया है।

3. **प्रावधान.-** ये विनियम उन इकाईयों पर लागू होंगे,-

अधिनियम की धारा 58 क के तहत किसी लाइसेंसधारी वेयरहाऊस में –

(i) जो कि इस अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत कार्यरत हों, या

(ii) उन इकाईयों पर लागू होंगे जिन्होंने इस अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत कार्य करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन किया हो,

4. **इन विनियमों के अंतर्गत कारोबार करने के लिये आवेदन हेतु पात्रता.-** (1) निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति इन विनियमों के अंतर्गत कारोबार करने के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे,-

(i) जो व्यक्ति अधिसूचना सं. 66/2016-सीमाशुल्क (गैं.टे.) के उपवाक्य (1) में दी गई सूची में उल्लिखित वस्तुओं (एतश्मिन पश्चात् जिसे विशिष्ट वस्तुओं से संदर्भित किया गया है) की वेयरहाउसिंग के लिये उक्त अधिनियम की धारा 58क के अतंर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा हो और साथ में ही इसी अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत वेयरहाउस में विनिर्माण या अन्य प्रकार्यों के लिए आवेदन कर रहा हो; या

(ii) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे स्पेशल वेयरहाउस लाइसेंसिग रेग्युलेखन्स 2016 के अनुसार, विशिष्ट वस्तुओं की वेयरहाउसिंग के लिए उक्त अधिनियम की धारा 58क के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया है।

(2) इन विनियमों के अंतर्गत कारोबार करने के लिए कोई भी आवेदन प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के पास किया जाएगा और साथ में ही निम्न बात के लिए अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी-

(i) वस्तुओं को प्राप्त करने और उसको वहां से हटाकर ले जाने से संबंधित डिजिटल फार्म में ऐसा हिसाब-किताब जिसे विनिर्दिष्ट किया गया हो और जिसे मासिक आधार पर "डिजीटल फार्म" में बंध-पत्र अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जा सके;

(ii) इन विनियमों के अंतर्गत यथा आवश्यक सुविधाओं उपकरणों और कर्मचारियों को उपलब्ध कराना;

(iii) ऐसे रूप में बंध-पत्र भरना जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए;

(iv) इस प्रकार से और उतनी धनराशि की प्रत्याभूति जमा करना जिस प्रकार से और जितनी धनराशि के लिए उसे विनिर्दिष्ट किया जाए;

(v) कच्चे माल और अंतिम उत्पाद से संबंधित इनपुट-आउटपुट नार्म के बारे में बताना और उसमें यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो इस प्रकार संशोधित इनपुट-आउटपुट नार्म के बारे में बताना;

(vi) सीमाशुल्क के अधिकारियों वेयरहाउस की गई निगरानी सेवा के लिए लागत वसूली आधार पर या समयोपरि आधार पर, जैसा भी प्राधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा निर्धारित किया जाए, भुगतान करना; और

(vii) ऐसी शर्तों और दशाओं को पूरा करना, जिन्हें प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

5. **अनुमति का दिया जाना.-** विनियम 4 के उप विनियमन के अनुसार दिये गये आवेदन का विधिवत सत्यापन करने के पश्चात और स्वंय को इस बात से संतुष्ट पाने के बाद कि विनियम 4 और स्पेशल वेयरहाउस लाइसेंस रेग्युलेशन्स, 2016 के अनुसार सभी अपेक्षित आवश्यकताएं पूरी हों गयी हैं, प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कारोबार करने के लिए अनुमति दे सकता है, और साथ ही जहां भी जरूरी हो उक्त अधिनियम की धारा 58क के अंतर्गत लाइसेंस भी दे सकता है, बशर्ते कि ऐसी शर्तें जिन्हें जरूरी समझा जाए, पूरी होती हों।

6. अनुमति की वैधता.- विनियम 5 के अंतर्गत दी गयी किसी भी अनुमति, यदि इसे रद्ध नहीं किया जाता है या इसको वापस नहीं किया जाता है अथवा धारा 58 क के अंतर्गत जारी लाइसेंस को रद्द नहीं किया जाता है या वापस नहीं किया जाता है तो, इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गये विनियमों के अनुसार वैध रहेगी।

7. वेयर हाउस कीपर की नियुक्त.- (1) ऐसा व्यक्ति जिसको कि विनियम 5 के अंतर्गत अनुमति दी गयी हो अपनी ओर से काम करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को वेयरहाउस कीपर नियुक्त करेगा जिसको कि वेयरहाउसिंग के कामकाज और सीमाशुल्क की प्रक्रियाओं के बारे में पर्याप्त अनुभव हो।

(2) ऐसा वेयरहाउस कीपर इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गये नियमों और विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के लिए अभिप्रमाणन प्राधिकारियों के द्वारा लाइसेंस प्राप्त प्राधिकारियों से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

8. सुविधाएं, उपकरण और कर्मचारी.- ऐसा व्यक्ति जिसे विनियम 5 के अंतर्गत अनुमति दी गई है, वेयरहाउस पर निम्नलिखित को उपलब्ध करायेगा-

(i) ऐसे संकेतक जिससे यह प्रकट हो कि ऐसा स्थल या भवन कस्टम्स बांडेड वेयरहाउस है;

(ii) रसीद, भण्डारण, प्रचालन और माल को ले जाने से संबंधित कम्प्यूटराइज्ड व्यवस्था;

(iii) दरवाजे, खिड़कियों और भवन के अन्य घटक जो कि निर्माण में काम आए हों;

(iv) वेयरहाउस में रखे गये विशिष्ट माल के लिए स्ट्रांग रूम;

(v) ऐसी सुविधा जिससे कि बंध-पत्र अधिकारी वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम को लाक कर सके;

(vi) बंध-पत्र अधिकारी के कार्यक्रम के लिए पर्याप्त स्थान;

(vii) पर्याप्त कर्मचारी, उपकरण और स्थान जिससे कि सीमाशुल्क अधिकारी सामान की जांच कर सके;

(viii) ऐसी अन्य सुविधाएं, उपकरण और कर्मचारी जिससे वेयरहाउस तक पहुँच को नियंत्रित रखा जा सके, इसमें माल का भण्डारण सुरक्षित रखा जा सके और सीमाशुल्क अधिकारियों के द्वारा इन विनियमों को अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

9. स्ट्रांग रूम.- (1) ऐसे विशिष्ट माल को छोड़कर जिनपर शुल्क लगता हो, अन्य कुछ भी माल स्ट्रांग रूम में नहीं रखा जाएगा।

(2) बंध-पत्र अधिकारी स्ट्रांगरूम में ताला लगवायेगा और बंध-पत्र अधिकारी की उपस्थिति के बिना कोई भी व्यक्ति न तो स्ट्रांग रूम में प्रवेश कर सकता है, न माल को जमा कर सकता है और न ही वहां से माल हटा सकता है।

(3) वेयरहाउस कीपर, जैसे और जहां बंधपत्र अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों, और कम से कम 6 माह में एक बार बंधपत्र अधिकारी को उपस्थिति में, स्टाक-रूम में रखे गये माल की प्रत्यक्ष जांच करेगा और यह बताएगा किः-

(i) स्ट्रांग रूम में रखे गये विशिष्ट माल का प्रत्यक्ष भण्डार रिकॉर्ड में दर्ज भण्डार से मेल खाता है या नहीं, और

(ii) स्ट्रांग रूम से क्लीयर हुए विशिष्ट माल या तो 'वर्क-इन-प्रोग्रेस' की स्थिति में है, या इसका अनुमति प्राप्त विनिर्माण में प्रयोग हुआ है, या इसका ऐसे ही स्थिति में निर्यात कर दिया गया है, यथा घरेलू बाजार में इसको ऐसे ही 'क्लीयर' कर दिया गया है।

(4) वेयर हाउस कीपर और बंधपत्र अधिकारी स्टॉक के संक्षिप्त विवरण पर हस्ताक्षर करकी उसके प्रतिलिपि तैयार करायेंगे और एक एक प्रतिलिपि अपने रिकॉर्ड में रखेंगे।

(5) जहां इस विनियम के अंतर्गत स्टॉक को लेने के दौरान कोई विषंगति नजर आती है तो बंधपत्र अधिकारी सरकारी राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से यथोचित कार्रवाई करेगा।

10. माल के परिवहन संबंधी शर्तें- (1) जहां कि माल का परिवहन किसी आयात सीमाशुल्क स्टेशन से किसी वेयरहाउस तक या एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस तक या किसी वेयरहाउस से किसी निर्यात सीमाशुल्क स्टेशन तक हो रहा हो तो परिवहन के साधन के लोड कम्पार्टमेंट के वन-टाइम-लॉक से सुरक्षित 'सील्ड' किया जाना चाहिए।

बशर्ते कि प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, माल की प्रकृति को देखते हुए या परिवहन के तरीके को देखते हुए, बिना वन-टाइम-लॉक के लगाये, ऐसे माल के परिवहन के लिए अनुमति दे सकता है।

(2) जहां कि उस माल को, जिसको कि वेयरहाउस में रखा जाना हो, हटाया जा रहा हो, वहां उप विनियम (1) के अनुसार लगाया जाने वाला 'वन-टाइम-लॉक' यथोचित सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा ही लगाया जाएगा।

(3) जहां कि वेयरहाउस में रखे गये माल को एक वेयरहाउस से हटाकर दूसरे वेयरहाउस में ले जाया जा रहा हो, वहां उप विनियम, (1) के अंतर्गत लगाया जाने वाला 'वन-टाइम-लॉक' बंधपत्र अधिकारी की उपस्थिति में लगाया जाएगा।

(4) जहां वेयरहाउस में रखा माल, वेयरहाउस से किसी निर्यात सीमाशुल्क स्टेशन तक हो रहा हो, वहां उपविनियम (1) के अनुसार 'वन-टाइम-लॉक' बंधपत्र अधिकारी की उपस्थिति में लाइसेंसी के द्वारा लगाया जाएगा।

11. कस्टम्स स्टेशन से माल की प्राप्ति.- (1) लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी की अनुपस्थिति में न तो कोई माल प्राप्त करेगा न ही वेयरहाउस पर किसी माल को उतारने की अनुमति ही देगा।

(2) किसी कस्टम्स स्टेशन से प्राप्त माल को जमा करने के लिए बंधपत्र अधिकारी की अनुमति के मिल जाने पर लाइसेंसीः-

(i) वेयरहाउस तक माल को लाने वाले वाहन के लोड कम्पार्टमेंट में कस्टम्स स्टेशन पर यथोचित अधिकारी के द्वारा लगाए गए 'वन-टाइम-लॉक' का सत्यापन करेगा;

(ii) यदि 'वन-टाइम-लॉक' सही नहीं पाया जाता है तो वह तत्काल इसकी सूचना बंधपत्र अधिकारी को देगा और माल को उतरवाने से इन्कार कर देगा;

(iii) माल के उतारने की अनुमति देगा बशर्ते की 'वन-टाइम-लॉक' सही पाया गया तो और प्राप्त माल की मात्रा का वेयरहासिंग के बिल ऑफ एन्ट्री के साथ मिलान करके सत्यापन करेगा;

(iv) यदि माल की मात्रा में कोई विषंगति पायी जाती है तो तत्काल इसकी सूचना बंधपत्र अधिकारी को देगा;

(v) प्राप्त माल की मात्रा के साथ-साथ वेयरहाउस के बिल ऑफ एन्ट्री को पृष्ठांकित करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा;

(vi) माल के वाहक के द्वारा प्रस्तुत परिवहन कागजातों को पृष्ठांकित करके माल की रसीद देगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा;

(vii) प्राप्त माल को रिकॉर्ड में दर्ज करेगा; और

(viii) जहां कि माल ऐसे विशिष्ट प्रकार का हो और उसपर ड्यूटी लगायी जाती हो तो यह ऐसे माल को स्ट्रांग रूम में जमा करेगा।

(3) वेयरहाउस में आये माल को रिकॉर्ड में दर्ज करने के पश्चात लाइसेंसी धारा 60 की उपधारा (1) में सदर्भित यथोचित अधिकारी को और बंधपत्र अधिकारी को वेयरहाउस में आये ऐसे माल के बारे में पावती भिजवायेगा।

12. किसी दूसरे वेयरहाउस से माल की प्राप्ति.- (1) लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी की अनुपस्थिति में वेयरहाउस में न तो कोई माल स्वीकार करेगा और न ही उसको उतारे जाने की अनुमति देगा।

(2) किसी दूसरे वेयरहाउस से आये माल को जमा किये जाने के लिए बंधपत्र अधिकारी की अनुमति मिलि जाने के बाद लाइसेंसी,-

(i) वेयरहाउस तक माल को लाने वाले वाहन के लोड कम्पार्टमेंट में लगे 'वन-टाइम-लॉक' का सत्यापन करेगा;

(ii) यदि 'वन-टाइम-लॉक' सही नहीं पाया जाता है तो वह तत्काल बंधपत्र अधिकारी को इसकी सूचना देगा और माल को उतरवाने से मना कर देगा;

(iii) माल को उतारने की अनुमति देगा, बशर्ते कि 'वन-टाइम-लॉक' सही पाया जाता है और निम्नलिखित से मिलान करके माल की मात्रा का सत्यापन करेगा-

(क) यदि माल किसी ऐसी ईकाई से प्राप्त हुआ है, जो इस अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत कार्यरत है, तो इन विनियमों के परिशिष्ट में दिये गये फार्म;

(ख) यदि माल किसी ऐसी ईकाई से प्राप्त हुआ हो जो कि इस अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत कार्यरत नहीं है तो वेयरहाउस गुड्स (रिमूवल) रेग्युलेशन्स, 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फार्म;

(iv) यदि माल की मात्रा में कोई विषंगति पायी जाती है तो तत्काल इसकी सूचना बंधपत्र अधिकारी को देगा;

(v) वेयरहाउस से प्राप्त माल की मात्रा को माल स्थानांतरण के फार्म को पृष्ठांकित करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा;

(vi) माल के वाहक के द्वारा प्रस्तुत परिवहन कागजातों को पृष्ठांकित करके माल की रसीद देगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा;

(vii) प्राप्त माल को रिकॉर्ड में दर्ज करेगा; और

(viii) जहां कि ड्यूटी लगने वाल। माल विशिष्ट प्रकार का माल हो, ऐसे माल को स्ट्रांग रूम में जमा करेगा।

(3) वेयरहाउस में आये माल को रिकॉर्ड में दर्ज करने के पश्चात लाइसेंसी धारा 60 की उपधारा (1) में सदर्भित यथोचित अधिकारी को और बंधपत्र अधिकारी को वेयरहाउस में आये ऐसे माल के बारे में पावती भिजवायेगा।

13. अपने देश में ही खरीदे गये माल की प्राप्ति. - (1) लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी की अनुपस्थिति में वेयरहाउस में न तो कोई माल स्वीकार करेगा और न ही उसको उतारे जाने की अनुमति देगा ।

(2) बंधपत्र अधिकारी की अपने देश में ही खरीदे गये माल की प्राप्ति और अनुमति उतारे जाने की अनुमति के बाद लाइसेंसी माल को रिकॉर्ड में दर्ज करेगा ।

14. किसी वेयरहाउस से माल का अंतरण.- (1) कोई भी लाइसेंसी वेयरहाउस से माल के अंतरण संबंधी फार्म में बंधपत्र अधिकारी को प्राप्त अनुमति के बिना, किसी माल को किसी वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में या किसी निर्यात कस्टम्स स्टेशन को अंतरण किये जाने की अनुमति नहीं देगा।

(2) किसी वेयर से माल को हटाने के लिए बंधपत्र अधिकारी की अनुमति मिल जाने पर लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी की उपस्थिति में:-

(i) माल को हटाने और परिवहन के साधन में उसको लादे जाने की अनुमति देगा;

(ii) परिवहन साधन में 'वन-टाइम-लॉक' लगायेगा;

(iii) फार्म में 'वन-टाइम-लॉक' का क्रमांक दर्ज करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा;

(iv) परिवहन कागजातों में 'वन-टाइम-लॉक' का क्रमांक दर्ज करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा;

(v) माल को हटाये जाने का रिकॉर्ड रखेगा; और

(vi) अपने पास रखे गये कागजातों की प्रति बंधपत्र अधिकारी को सौंपेगा ।

15. परिणामी माल को घरेलू उपभोग के लिए हटाना.- (1) लाइसेंसी घरेलू उपभोग के लिए परिणामी माल को ले जा सकता है:

बशर्ते कि घरेलू उपभोग संबंधी बिल आफ एन्ट्री में यह दर्ज हो कि वेयरहाउस में रखे गये माल में परिणामी माल कितना है और ऐसे माल से संबंधित आयात शुल्क, ब्याज, देय, दण्ड या शास्ति, यदि कोई हो, का भुगतान हो गया हो:

बशर्ते और भी कि बंधपत्र अधिकारी की अनुपस्थिति में माल को नहीं हटाया जाएगा।

(2) लाइसेंसी बिल आफ एन्ट्री की एक प्रति अपने पास रखेगा और हटाए गये माल का रिकॉर्ड रखेगा।

16. परिणामी माल को निर्यात के लिए हटाना.- (1) कोई भी लाइसेंसी निर्यात के लिए वेयरहाउस से परिणामी माल को निम्नलिखित आधार पर हटाएगा,-

(i) शिपिंग बिल या बिल आफ एक्सपोर्ट, जैसी भी स्थिति हो, के भरे जाने के बाद;

(ii) परिवहन के उस साधन के लोड कम्पार्टमेंट में 'वन-टाइम-लॉक' लगाने के बाद जिसमें ऐसे माल को वेयरहाउस से ले जाना हो:

बशर्ते कि लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी की उपस्थिति में माल के परिवहन के साधन पर लदवायेगा और उस परिवहन साधन पर 'वन-टाइम-लॉक' लगायेगा।

(2) लाइसेंसी ले जाये जाने वाले माल का रिकॉर्ड रखेगा।

17. जो माल अभी आना है उससे संबंधित शर्ते.- ऐसे माल का लाइसेंसी-

(i) अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी आदेश के एक महीने के भीतर यथोचित अधिकारी को इस बात की पावती देगा कि ऐसे माल को वेयरहाउस में जमा करा दिया गया है;

(ii) वेयरहाउस से ऐसे माल को ले जाये जाने की तारीख से एक महीने के भीतर वेयरहाउस के प्रभारी बंधपत्र अधिकारी को वह पावती देगा जिसे उस वेयरहाउस के लाइसेंसी के द्वारा जारी किया गया होगा जहां के लिए माल को ले जाया गया हो और उसमें यह बताएगा कि माल उस जगह पर पहुँच गया है।

(iii) वेयरहाउस से माल को हटाये जाने की तारीख से एक माह के भीतर वेयरहाउस के प्रभारी बंधपत्र अधिकारी को ऐसी पावती देगा जो कि निर्यात कस्टम्स स्टेशन के यथोचित अधिकारी के द्वारा जारी की गयी हो, जिसमें यह बताना होगा कि माल उस स्थान पर पहुँच गया है,

ऐसा न हो पाने पर, ऐसे माल का मालिक ऐसे माल पर लगने वाले संपूर्ण शुल्क और साथ ही साथ धारा 72 की उपधारा (1) के अंतर्गत इस पर देय ब्याज, दण्ड और शास्ति का भुगतान करेगा।

18. **वेयरहाउस में जमा माल से संबंधित कागजातों का रख-रखाव.-** (1) लाइसेंसी-

(i) वेयरहाउस में या से आने वाले सामानों की प्राप्ति, उसकी देख-रेख, उसके भण्डारण और उसको वहां से ले जाने, जैसी भी स्थिति हो, से संबंधी सभी रिकॉड्र्स को विस्तृत रूप से रखेगा और जहां और जब भी जरूरत पड़े उसे बंधपत्र अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा;

(ii) वेयरहाउस में रखे गये माल से संबंधित हर क्रिया-विधि, प्रचालन व की गई कार्रवाई का ब्यौरा रखेगा;

(iii) इस अधिनियम या तत्समय लागू अन्य कानूनों के अंतर्गत, वेयरहाउस में रखे गये माल का लिये जाने वालों नमूनों का भी रिकॉर्ड रखेगा; और

(iv) बिल आफ एन्ट्री, परिवहन संबंधी कागजातों, वेयरहाउस से माल के अंतरण से संबंधित फार्म, शिपिंग बिल्स और बिल आफ एक्सपोर्ट्स और अन्य कागजातों, जिनसे वेयरहाउस में माल के प्राप्त होने या उसे वहां से हटाए जाने के बारे में पता चले, और धारा 59 के अंतर्गत निष्पादित बंधपत्रों की प्रतियां रखेगा।

(2) इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सभी क्रियाकलापों को तत्काल रिकॉर्ड करना होगा। फार्म में विनिर्दिष्ट डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी रखना होगा। मैन्युअल रिकॉड्र्स के साथ-साथ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉड्र्स को भी अद्यतन, शुद्ध और परिपूर्ण रखना होगा और इनको वेयरहाउस में हमेशा उपलब्ध रखना चाहिए और सत्यापन के लिए बंधपत्र अधिकारी या अन्य के लिए इसे बंधपत्र अधिकारी या अन्य किसी भी अधिकारी के लिए सुलभ होना चाहिए।

(3) ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रख-रखाव के सॉफ्टवेयर भी बात को लेखा-परीक्षा के कार्यों में शामिल किया जाना चाहिए इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का एक सुरक्षित, कम्प्यूटर जनित, टाइम-स्टैम्प्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकाड्र्स होना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉड्र्स के सृजन, उसमें संशोधन या उसको मिटाए जाने की घटनाओं के क्रम को फिर से तैयार किया जा सके और इसमें रिकॉर्ड या सिस्टम्स के स्तर पर, के फार्म जैसे कि सिस्टम तक पहुँच, या रिकॉर्ड को मिटाने या उसमें संशोधन करने, जैसे कार्य भी आते हैं।

(4) उपविनियम (1) के अंतर्गत व्यवस्थित रखे जाने के लिए अपेक्षित रिकॉड्र्स और बहीखातों को अद्यतन और शुद्ध रखा जाएगा और उसे वेयरहाउस से माल को हटाये जाने की तारीख से कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा और जब भी बंधपत्र अधिकारी या इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए जरूरत पड़ेगी, उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) लाइसेंसी उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट सभी रिकॉड्र्स की अद्यतन डिजिटल प्रतियां वेयरहाउस से भिन्न अन्य जगह पर भी सुरक्षित रखेगा ताकि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, आग, चोरी या चालाकी से की जाने वाली चोरी या कम्प्यूटर के खराब हो जाने की स्थिति में इसको सुरक्षित प्राप्त किया जा सके।

(6) लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी के पास वेयरहाउस में रखे जाने वाले माल की प्राप्ति, भण्डारण, प्रकार्य और उसको वहां से हटाकर ले जाने से संबंधित मासिक विवरणी, ऐसी विवरणी, जिस माह से संबंधित हो उस माह की समाप्ति से 10 दिन की अवधि के भीतर, जमा करायेगा।

19. लेखा-परीक्षा.- यथोचित अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और इसके तहत बनाये गये नियमों के अंतर्गत, धारा 65 के तहत काम करने वाली ईकाईयों की लेखा-परीक्षा करा सकता है।

20. शास्ति.- यदि कोई व्यक्ति इन विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, या ऐसे उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है, या इन विनियमों के किसी प्रावधान का अनुपाठन करने में असफल रहता है तो वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शास्ति का भागी होगा।

21. छूट दिये जाने की शक्ति.- बोर्ड ऐसे माल की प्रकृति, उसके परिवहन या भण्डारण के तरीके को देखते हुए ऐसे श्रेणी के माल को इस विनियमों के प्रावधानों से छूट दे सकता है।

फार्म (धारा 58 क के अंतर्गत लाइसेन्स प्राप्त वेयर हाउस के लिये)

(देखें; विनियम 2 के उप-विनियम (1) का उप-वाक्य (घ)

भाग क

(प्रेषक वेयरहाउस के द्वारा भरा जाना है)

आयात का ब्यौरा	वेयरहाउसिंग का ब्यौरा		माल					हटाये जाने का उद्देश्य		माल के प्रेषण का ब्यौरा			
बिल आफ इंट्री की संख्या और तारीख (यदि लागू हो)	वेयरहाउस का कोड और पता	बंध – पत्र की संख्या और तारीख	माल का विवरण	पैकेजेस की संख्या और विवरण	पैकेजेस पर अंकित चिन्ह् और संख्या	भार और मात्रा	मूल्य	दूसरे वेयरहाउस में जमा करना (वेयरहाउस कोड और पता लिखें)	आकाश या समुद्र या स्थल मार्ग से या डाक के माध्यम से निर्यात के लिये (कस्टम्स स्टेशन का ब्यौरा दें।)	माल को हटाये जाने की तारीख और उसका समय	परिवहन के साधन का पंजीकरण और ब्यौरा	कंटेनर संख्या (यदि लागू हो)	वन-टाइम-लाक संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

प्रेषक वेयरहाउस पर लाइसेन्सी या वेयरहाउस कीपर का हस्ताक्षर

तारीख:

प्रेषक वेयरहाउस पर बंध-पत्र अधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख:

भाग ख

(प्राप्तकर्ता द्वारा भरा जाना है)

माल की प्राप्ति का ब्यौरा			अभ्युक्ति
वेयरहाउस या कस्टम्स स्टेशन पर प्राप्ति की तारीख	क्या परिवहन के साधन की पंजीकरण संख्या इस परेशान से मेल खा रही है	क्या वन-टाइम-लाक ठीक-ठाक पाया गया है?	
(1)	(2)	(3)	(4)

प्राप्ति वेयरहाउस पर लाइसेन्सी या वेयरहाउस कीपर का हस्ताक्षर, तारीख सहित

या

निर्यात सीमाशुल्क स्टेशन पर यथोचित अधिकारी का हस्ताक्षर, तारीख सहित

[फा. सं. 473/03/2020-सीमा शुल्क]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2020

No. 75 /2020-Customs (N.T.)

G.S.R. 509(E).—In exercise of the powers conferred by section 157, read with sections 58A, 65 and 143AA of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Manufacture and Other Operations in Special Warehouse Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) "bond officer" means an officer of customs in charge of a warehouse;

(c) "Controller of Certifying Authorities" means the authority appointed under sub-section (1) of section 17 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(d) "Form" means the form appended to these regulations;

(e) "section" means the section of the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Application. –These regulations shall apply to, -

(i) the units that operate under section 65 of the Act, or

(ii) the units applying for permission to operate under section 65 of the Act,

in a special warehouse licensed under section 58A of the Act.

4. **Eligibility for application for operating under these regulations**. – (1) The following persons shall be eligible to apply for operating under these regulations, -

(i) a person who applies for a licence under section 58A of the Act for warehousing of goods listed at clause (1) of notification 66/2016-Customs (NT) (hereinafter referred to as the specified goods), along with permission for undertaking manufacturing or other operations in the warehouse under section 65 of the Act; or

(ii) a person who has been granted a licence under section 58A of the Act for warehousing of the specified goods, in accordance with Special Warehouse Licensing Regulations 2016.

(2) An application under these regulations shall be made to the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs, as the case may be, along with an undertaking to,-

(i) maintain accounts of receipt and removal of goods in digital form in such format as may be specified and furnish the same to the bond officer on monthly basis digitally;

(ii) provide facilities, equipment and personnel as required in these regulations;

(iii) execute a bond in such format as may be specified;

(iv) submit security in such manner and with such amount as may be specified;

(v) inform the input-output norms, for raw materials and the final products and to inform the revised input-output norms in case of change therein;

(vi) pay for the services of supervision of the warehouse by officers of customs on cost recovery basis or overtime basis, as may be determined by the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs as the case may be; and

(vii) comply with such other terms and conditions as may be specified by the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs, as the case may be.

5. Grant of permission. - The Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs, as the case may be, upon due verification of the application made under sub-regulation (2) of regulation 4, and after satisfying that all requirements of regulation 4 and the Special Warehouse Licensing Regulations, 2016, have been fulfilled, may grant permission to operate under the provisions of these regulations, along with a licence under section 58A of the Act where required, subject to such conditions as deemed necessary.

6. **Validity of permission.** – The permission granted under regulation 5 shall remain valid unless it is cancelled or surrendered or the licence issued under section 58A is cancelled or surrendered, in terms of the provisions of the Act or the rules and regulations made there under.

7. Appointment of warehouse keeper. – (1) A person who has been granted permission under regulation 5 shall appoint a warehouse keeper who has sufficient experience in warehousing operations and customs procedures to discharge functions on his behalf.

(2) The warehouse keeper shall obtain a digital signature from authorities licensed by the Controller of Certifying Authorities for filing electronic documents required under the Act or rules or regulations made thereunder.

8. **Facilities, equipment and personnel**. – A person who has been granted permission under regulation 5 shall provide at the warehouse, -

(i) signage that prominently indicates that the site or building is a customs bonded warehouse;

(ii) a computerized system for accounting of receipt, storage, operations and removal of goods;

(iii) doors, windows and other building components of sturdy construction;

(iv) a separate strong-room for keeping the specified warehoused goods;

(v) facility for locking the warehouse and the strong-room by the bond officer;

(vi) sufficient office space for bond officer;

(vii) adequate personnel, equipment and space for the examination of goods by officers of customs; and

(viii) such other facilities, equipment and personnel as are sufficient to control access to the warehouse, provide secure storage of the goods in it and ensure compliance to these regulations by officers of customs.

9. Strong-room. – (1) Except for the dutiable specified goods, no other goods shall be stored in the strong-room.

(2) The bond officer shall cause the strong-room to be locked and no person shall enter the strong-room or deposit goods therein or remove goods therefrom, except in presence of the bond officer.

(3) The warehouse keeper shall, as and when required by the bond officer and at least once in six-months, conduct physical stock taking of the goods stored in the strong-room in presence of the bond officer, and demonstrate that-

(i) the physical stock of specified goods in the strong room tallies with the stock on record; and

(ii) the specified goods cleared from the strong-room are either lying as work-in-progress or have been utilized in the permitted manufacturing or other operations or have been exported as such or have been cleared as such in domestic market.

(4) The warehouse keeper and the bond officer shall sign summary of stock taking, prepared in duplicate, and keep one copy each for their records.

(5) Where a discrepancy is noticed during a stock taking conducted under these regulations, the bond officer shall take appropriate action under the Act.

10. Conditions for transport of goods. – (1) Where the goods are transported from the customs station of import to a warehouse or from one warehouse to another warehouse or from the warehouse to a customs station for export, the load compartment of the means of transport shall be securely sealed with a one-time-lock:

Provided that the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may having regard to the nature of goods or manner of transport, permit transport of such goods without affixing the one-time-lock.

(2) Where the goods to be warehoused are removed, from the customs station of import to a warehouse, the one-time-lock as per sub-regulation (1) shall be affixed by the proper officer of customs.

(3) Where the warehoused goods are removed from the warehouse to another warehouse, the one-time-lock as per sub-regulation (1) shall be affixed by the licensee, in presence of the bond officer.

(4) Where the warehoused goods are removed, from the warehouse to a customs station for export, the one-time-lock as per sub-regulation (1) shall be affixed by the licensee, in presence of the bond officer.

11. Receipt of goods from customs station. – (1) A licensee shall not receive any goods or permit unloading of any goods at the warehouse except in the presence of the bond officer.

(2) Upon the bond officer permitting the deposit of the goods received from a customs station, the licensee shall, –

(i) verify the one-time-lock affixed by the proper officer at the customs station on the load compartment of the means of transport carrying the goods to the warehouse;

(ii) inform the bond officer immediately if the one-time-lock is not found intact, and refuse the unloading of the goods;

(iii) allow unloading, provided the one-time-lock is found intact, and verify the quantity of goods received by reconciling with the bill of entry for warehousing;

(iv) report any discrepancy in the quantity of goods immediately to the bond officer;

(v) endorse the bill of entry for warehousing with the quantity of goods received and retain a copy thereof;

(vi) acknowledge the receipt of the goods by endorsing the transportation document presented by the carrier of the goods and retain a copy thereof;

(vii) take into record the goods received; and

(viii) where the goods are dutiable specified goods, deposit the goods received in the strong-room.

(3) Upon taking into record the goods received in the warehouse, the licensee shall cause to be delivered an acknowledgement to the proper officer referred to in sub-section (1) of section 60 of the Act and to the bond officer regarding the receipt of the goods in the warehouse.

12. Receipt of goods from another warehouse. – (1) A licensee shall not receive any goods or permit unloading of any goods at the warehouse except in the presence of the bond officer.

(2) Upon the bond officer permitting the deposit of the goods received from another warehouse, the licensee shall, -

(i) verify the one-time-lock affixed on the load compartment of the means of transport carrying the goods to the warehouse;

(ii) inform the bond officer immediately if the one-time-lock is not found intact and refuse the unloading of the goods;

(iii) allow unloading, provided the one-time-lock is found intact, and verify the quantity of goods received by reconciling with, -

(a) in case of goods received from a unit operating under section 65 of the Act, the Form appended to these regulations;

(b) in case of goods received from a warehouse not operating under section 65 of the Act, the Form as prescribed under the Warehoused Goods (Removal) Regulations, 2016.

(iv) report any discrepancy in the quantity of the goods immediately to the bond officer;

(v) endorse the Form for transfer of goods from a warehouse with quantity received and retain a copy thereof;

(vi) acknowledge the receipt of the goods by endorsing the transportation document presented by the carrier of the goods and retain a copy thereof;

(vii) take into record the goods received; and

(viii) where the goods are specified goods, deposit the goods received in the strong-room.

(3) The licensee upon taking into record the goods received in the warehouse, shall cause to be delivered, copies of the retained documents to the bond officer and to the warehouse keeper of the warehouse from where the goods have been received.

13. Receipt of domestically procured goods. – (1) A licensee shall not receive any goods or permit unloading of any goods at the warehouse except in the presence of the bond officer.

(2) Upon the bond officer permitting receipt and deposit of the domestically procured goods, the licensee shall take into record the goods received.

14. Transfer of goods from a warehouse. – (1) A licensee shall not allow the transfer of warehoused goods to another warehouse or to a customs station for export without the permission of the bond officer on the form for transfer of goods from a warehouse.

(2) Upon the bond officer permitting the removal of the goods from the warehouse, the licensee shall, in the presence of the bond officer, -

(i) allow removal of the goods and their loading onto the means of transport;

(ii) affix a one-time-lock to the means of transport;

(iii) endorse the number of the one-time-lock on the form and retain a copy thereof;

(iv) endorse the number of the one-time-lock on the transport document and retain a copy thereof;

(v) take into record the removal of the goods; and

(vi) hand-over copy of the retained documents to the bond officer.

15. Removal of resultant goods for home consumption. – (1) A licensee may remove the resultant goods from the warehouse for home consumption:

Provided that a bill of entry for home consumption has been filed in respect of the warehoused goods contained in so much of the resultant goods and the import duty, interest, fine and penalties payable, if any, in respect of such goods have been paid:

Provided further that the goods shall not be removed except in the presence of the bond officer.

(2) The licensee shall retain a copy of the bill of entry filed and take into record the goods removed.

16. Removal of resultant goods for export. – (1) A licensee shall remove the resultant goods from the warehouse for export, upon, -

(i) filing a shipping bill or a bill of export, as the case may be; and

(ii) affixing a one-time-lock to the load compartment of the means of transport in which such goods are removed from the warehouse:

Provided that the licensee shall cause the goods to be loaded onto a means of transport and affix a one-time-lock to the means of transport in the presence of the bond officer.

(2) The licensee shall take into record the goods removed.

17. Conditions for due arrival of goods. - The licensee of the goods shall produce, -

(i) to the proper officer within one month of the order issued under sub-section (1) of section 60 of the Act, an acknowledgement that the goods have been deposited in the warehouse;

(ii) to the bond officer in charge of the warehouse, within one month from the date of removal of the goods from the warehouse an acknowledgement issued by the licensee of the warehouse to which the goods have been removed, stating that the goods have arrived at that place;

(iii) to the bond officer in charge of the warehouse, within one month from the date of removal of the goods from the warehouse an acknowledgement issued by the proper officer at the customs station of export, stating that the goods have arrived at that place;

failing which, the owner of such goods shall pay the full amount of duty chargeable on account of such goods together with interest, fine and penalties payable under sub-section (1) of section 72.

18. **Maintenance of records in relation to warehoused goods.** – (1) A licensee shall, -

(i) maintain detailed records of the receipt, handling, storing, and removal of any goods into or from the warehouse, as the case may be, and produce the same to the bond officer, as and when required;

(ii) keep a record of each activity, operation or action taken in relation to the warehoused goods;

(iii) keep a record of drawl of samples from the warehoused goods under the Act or under any other law for the time being in force; and

(iv) keep copies of the bills of entry, transport documents, forms for transfer of goods from a warehouse, shipping bills or bills of export or any other documents evidencing the receipt or removal of goods into or from the warehouse and copies of the bonds executed under section 59 of the Act.

(2) All activities prescribed in these regulations need to be recorded immediately and the data prescribed in the Form shall also be stored electronically. Such electronic as well as manual records should be kept updated, accurate and complete and shall be available at the warehouse at all times and accessible to the bond officer or any other authorised officer for verification.

(3) The software for maintenance of electronic records must incorporate the feature of audit trail which means a secure, computer generated, time-stamped electronic record that allows for reconstruction of the course of events relating to the creation, modification or deletion of an electronic record and includes actions at the record or system level, such as, attempts to access the system or delete or modify a record.

(4) The records and accounts required to be maintained under sub- regulation (1) shall be kept updated and accurate and preserved for a minimum period of five years from the date of removal of goods from the warehouse and shall be made available for inspection by the bond officer or any other officer authorised under the Act.

(5) A licensee shall also preserve updated digital copies of the records specified under sub-regulation (1) at a place other than the warehouse to prevent loss of records due to natural calamities, fire, theft, skilful pilferage or computer malfunction.

(6) A licensee shall file with the bond officer a monthly return of the receipt, storage, operations and removal of the goods in the warehouse, within ten days after the close of the month to which such return relates.

19. **Audit.** –The proper officer may conduct audit of a unit operating under section 65 of the Act in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

20. Penalty. –If a person contravenes any of the provisions of these regulations, or abets such contravention or fails to comply with any of the provision of these regulations, he shall be liable to penalty in accordance with the provisions of the Act.

21. Power to exempt. – The Board, having regard to the nature of the goods, their manner of transport or storage, may exempt a class of goods from any of the provisions of these regulations.

FORM (for section 58A licensed warehouse)

(See clause (d) of sub-regulation (1) of regulation 2)

Part A

(to be filled at the dispatch warehouse)

Import details	**Details of warehousing**		**Goods**					**Purpose of removal**		**Details of despatch of goods**			
Bill of Entry No. and date (if applicable).	Warehouse code and address.	Bond No. and date.	Description of goods.	Description and No. of packages.	Marks and numbers on packages.	Weight and quantity.	Value.	Deposit in another warehouse (Furnish warehouse code and address).	For export by air or sea or land or post (Furnish details of customs station).	Date and time of removal.	Registration No. and details of means of transport.	Container No. (if applicable).	One-time-lock No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Signature of licensee or the warehouse keeper at the warehouse of despatch.

Date:

Signature of the bond officer at the warehouse of despatch.

Date:

Part B

(To be filled by the recipient)

Details of receipt of goods			**Remarks**
Date and time of receipt at the warehouse or customs station.	Whether Registration No. of means of transport is matching with despatch?	Whether the one-time-lock is found intact?	
(1)	(2)	(3)	(4)

Signature of the licensee or the warehouse keeper at the warehouse of receipt with date.

or

Signature of the proper officer at the customs station of export with date.

[F. No. 473/03/2020-LC]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.17 22:53:59 +05'30'